

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व वाद 26/2015
श्रीमति श्रवणी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य
अन्तर्गत धारा 212 आस्टीए

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामिल में

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित। जी0ए0 उपस्थित। प्रार्थीगण/अभिभाषक को दिनांक 08.11.2016 के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलवाना प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 10.08.2020 को पुनः उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जबकि प्रकरण वर्ष 2015 से न्यायालय में लम्बित है। 6 वर्ष का समय तलबी हेतु दिये जाने के उपरान्त भी तलबी प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत अदम पालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामति वैष्णव)

सहायक कलेक्टर (मु0)
अजमेर

